Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में जिला परिवहन अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं उनका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 37 हजार 200 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *25 अगस्त, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर दौसा इकाई द्वारा आज भरतपुर में कार्यवाही करते हुये दिलीप तिवारी जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिला भरतपुर, अनिल कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिला भरतपुर एवं उनके दलाल कपिल शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **37 हजार 200 रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की दौसा को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये जा रहे नये वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्य की एवज में दिलीप तिवारी जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिला भरतपुर, अनिल कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिला भरतपुर द्वारा उनके दलाल कपिल शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **37 हजार** 200 **रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी दौसा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नवल किशोर** एवं उनकी टीम द्वारा भरतपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुए दलाल कपिल शर्मा पुत्र श्री सोमेन्द्र शर्मा निवासी पुराना बयाना बस स्टैण्ड, भरतपुर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **37 हजार 200 रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रकरण में दिलीप तिवारी पुत्र स्व. श्री दयानन्द निवासी मकान नं0 150, श्रीपुरम, गुर्जर की थड़ी, जयपुर हाल जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिला भरतपुर एवं अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री शांतिस्वरूप शर्मा निवासी गोपालगढ़, भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिला भरतपुर को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।